<u>राज्य सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 629

20 दिसंबर, 2017 को उत्तर के लिए

वाईएसआर जिले में समेकित इस्पात संयंत्र

629. श्री वि॰ विजयसाई रेड्डीः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की 13वीं अनुसूची में मंत्रालय के लिए आन्ध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले में समेकित इस्पात संयंत्र की स्थापना करने का अधिदेश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अवसंरचना, भूमि इत्यादि तत्काल उपलब्ध होने के बावजूद इसे इतने वर्षों तक लटकाए रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसकी व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई थीं;

(घ) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में मंत्री ने जब आन्ध्र प्रदेश का दौरा किया था, तो यह घोषणा की थी कि इस्पात संयंत्र स्थापित करने के संबंध में एक माह में सकारात्मक निर्णय ले लिए जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क) से (ङ): जी नहीं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की तेरहवीं अनुसूची की शर्तों के अनुसार आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कडपा जिले में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा व्यवहार्यता जाँच की जानी थी। सेल द्वारा दिनांक 02.12.2014 को प्रस्तुत व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार इस्पात संयंत्र की स्थापना प्रथम दृष्ट्या वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है। बाद में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस्पात संयंत्रों की स्थापना हेतु एक रोडमैप का सुझाव प्रदान करने के लिए दिनांक 19.10.2016 को एक कार्य बल गठित किया गया, जिसमें केन्द्रीय और संबंधित राज्य सरकारों, सेल, आरआईएनएल, एनएमडीसी लिमिटेड, मेकॉन लिमिटेड और एमएसटीसी लिमिटेड के प्रतिनिधि शामिल हैं।

******